

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2024

जयपुर, दिनांक :

आदेश

डॉ. गुलाम मोहयुद्दीन सैयद, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड का स्थानान्तरण/पदस्थापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वितीय के पद पर प्रशासनिक अति आवश्यकता को देखते हुए लोक हित में तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

डा. सैयद को नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(2)डीओपी/ए-2/86 दिनांक 08.02.2013 के डीएसीपी नियमों में प्रावधान है कि "if there is no vacancy for granting DACP available, the post held by the candidate shall be converted into the post on which the candidate is to be promoted till he/she will hold that post". कार्मिक विभाग की उक्त अधिसूचना की पालना में उक्त अधिकारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन किया गया है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निमिषा गुप्ता)

संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग एवं पंचायती
राज (चिकित्सा) विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन उदयपुर/कोटा
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड/उदयपुर प्रथम/उदयपुर द्वितीय
6. संबंधित अधिकारी
7. कम्प्यूटर सेल

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

RajKaj Ref
5612164



Digitally signed by Nimisha Gupta
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2024.02.24:25:09 IST
Reason: Approved